

# प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 08.03.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग कर पासपोर्ट बनाने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित दस्तावेज व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 319(2),318(4),337,338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 व 12(1) पासपोर्ट अधिनियम 1967 से संबंधित अभियुक्त 1. विशाल सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ललितापुरम कालोनी थाना गोरखनाथ गोरखपुर व 2. हरेन्द्र प्रताप पुत्र सुरेन्द्र प्रताप निवासी सिसवाबाबू थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर हालपता ललितापुरम कालोनी थाना गोरखनाथ गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के कब्जे से कूटरचित दस्तावेज व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित आधार कार्ड व दस्तावेज तैयार कर अवैध पासपोर्ट बनाया जाता था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. विशाल सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ललितापुरम कालोनी थाना गोरखनाथ गोरखपुर
2. हरेन्द्र प्रताप पुत्र सुरेन्द्र प्रताप निवासी सिसवाबाबू थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर हालपता ललितापुरम कालोनी थाना गोरखनाथ गोरखपुर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 319(2),318(4),337,338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 व 12(1) पासपोर्ट अधिनियम 1967 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

## बरामदगी-

1. एक अदद कूटरचित आधार कार्ड, व उसकी फोटो कापी,
2. एक अदद कूटरचित बैंक एकाउन्ट के पासबुकी की छायाप्रति,
3. दो अदद मोबाइल फोन

## गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 विवेक सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
4. कां0 राजेश यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर